न्यायालय सिविल जज़ (जू0 डि0), बदायूँ

प्रकीर्ण वाद **संख्या - 01/2017**

जाविद **बनाम्** हरखासोआम आदि

<u>18-04-2017</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 3 ग मय शपथ पत्र 4 ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि हफीज़ पुत्र मुल्लन निवासी मौहल्ला गद्दी टोला, उझानी, जिला बदायूँ की मृत्यु दिनाँक 01-11-2015 को हो गई थी। मृतक के नाम से प्रार्थना पत्र 3 ग के पेरा सं0-8 मे वर्णित धनराशि जिला सहकारी बैंक लि०, शाखा-उझानी, जनपद बदायूँ के खाता सं0-502200020122 मे व बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा-उझानी जनपद बदायूँ के खाता सं0-26830100023606 मे जमा है एवम् मृतक के नाम बदायूँ जिला सहकारी बैंक मे एक एफ.डी. है, जिसको प्रार्थीगण पाने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थीगण के हक मे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किये जाने की याचना की गई है।

विपक्षीगण संख्या 2 ता 5 की ओर से प्रार्थना पत्र 18 ग से शपथ पत्र दाखिल करते हुए प्रार्थीगण के हक मे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर अपनी अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

नोटिस की मुनादी एवम् प्रकाशन कराया गया परन्तु किसी की तरफ से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है।

प्रार्थी द्वारा प्रलेखिय साक्ष्य मे सूची 29 ग से हफीज़ पुत्र मुल्लन का असल मृत्यु प्रमाण पत्र, असल पहचान पत्र, जिला सहकारी बैंक व बैंक ऑफ बड़ौदा की असल बैंक पास बुक, बदायूँ जिला सहकारी बैंक द्वारा जारी एफ.डी. सर्टिफिकेट एवम् सूची 5 ग से जाविद का आधार कार्ड कागज सं0-8 ग आदि दस्तावेज दाखिल किये गये हैं। जिला सहकारी बैंक लि० एवम् बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-उझानी, जनपद बदायूँ के खातों मे जमा धनराशि की बाबत बैंक आख्या क्रमशः कागज सं028 ग व 36 ग पत्रावली पर उपलब्ध है।

प्रार्थना पत्र 3 ख पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न किये जाने एवम् पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रलेखिय साक्ष्य के अवलोकन उपरान्त न्यायालय का यह मत है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र 3 ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदन पत्र 3 ख स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 8 मे वर्णित धनराशि अंकन 47659.65 रुपये के परिपक्वता धनराशि की बाबत प्रार्थी जाविद पुत्र हफीज़ के पक्ष मे पर्याप्त न्यायशुल्क अदा करने एवम् फोटो युक्त अण्डरटेकिंग इस आशय का प्रस्तुत करने, कि यदि उक्त धनराशि, जिसके बाबत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित किया जाता है या किसी अन्य व्यक्ति का हक स्वीकार किया जाता है तो उक्त धनराशि उक्त आदेश के अधीन होगी तथा भविष्य मे धनराशि के स्वामित्व की बाबत कोई विवाद उत्पन्न होने पर वह उपरोक्त सम्पूर्ण धनराशि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया जाये। प्रार्थी सं0 – 2 नाबालिग हैं अतः नाबालिग के हिस्से की धनराशि की बाबत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे उच्चतम् ब्याज दर वाली एफ०डी०आर बनायी जाये, जिसे नाबालिग बालिग होने पर बालिग होने का प्रमाण पत्र संबंधित बैंक मे प्रस्तुत करने पर प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यदि प्रार्थना पत्र मे कोई तथ्य छिपाया गया होगा तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। प्रार्थी न्यायशुल्क के बाबत आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे। मुन्सरिम न्यायशुल्क की बाबत अपनी आख्या प्रस्तुत करें। उक्त आदेश का प्रभाव लॉकर में रखी संपत्ति पर नहीं होगा।

सिविल जज़ (जू0 डि0), बदायूँ